भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 951
06 फरवरी, 2026 को जवाब दिया

वस्त्र एवं परिधान विनिर्माण इकाइयों की स्थिति

951. श्री दिग्विजय सिंह:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान खोली गईं, बंद की गईं और कार्यशील बनी रही वस्त्र एवं परिधान विनिर्माण इकाइयों की कुल संख्या का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान वस्त्र क्षेत्र द्वारा सृजित रोजगार का स्त्री-पुरुष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में किन्हीं प्रमुख बाधाओं को चिह्नित किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार वस्त्र क्षेत्र की लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को समर्थन देने के लिए क्या उपाय कर रही है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): उद्योगों के वार्षिक सर्वे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (एमओएसपीआई) मंत्रालय के अनुसार, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश-वार इकाइयों की कुल संख्या, परिचालन इकाइयों की संख्या और अन्य इकाइयां (कारखानों का गैर-अस्तित्व, या डि-रजिस्ट्रेशन, या आउट ऑफ कवरेज होना आदि), इकाइयों के बंद होने के बारे में डेटा अलग से नहीं रखा जाता है, वस्त्र और अपैरल क्षेत्र के तहत वर्ष 2019-2023 की अवधि के दौरान का डेटा **अनुबंध-1** में संलग्न है।

(ख): वस्त्र उद्योग देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जिससे सीधे तौर पर 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। आवधिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के आंकड़ों के अनुसार, वस्त्र और अपैरल क्षेत्र में 50% से अधिक महिला वर्कफोर्स है।

(ग) और (घ): सरकार भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाली प्रमुख व्यापार बाधाओं की पहचान करने और उन्हें हल करने और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में है। इस संदर्भ में, सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रमुख बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित सहित कई कदम उठाए हैं:

i. भारत सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौतों के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए वस्त्रों सहित भारत के वस्त्र निर्यात हेतु बाजार पहुंच और टैरिफ लाभ प्राप्त करने के लिए कई देशों के साथ व्यापार वार्ता को प्राथमिकता देती है।

ii. भारत ने विभिन्न देशों में पहुंच प्रदान करने के लिए 16 एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें भारत-यूके, भारत-ओमान सीईपीए शामिल हैं, जिस पर दिसंबर 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे और भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए संपन्न किया है।

iii. एमएसएमई निर्यातकों के लिए ऐसे ऋण की लागत को कम करके और नियम-आधारित और पारदर्शी ब्याज-राहत मैकेनिज्म प्रदान करके एमएसएमई निर्यातकों के लिए प्री- और पोस्ट-शिपमेंट रुपये निर्यात ऋण तक बेहतर पहुंच को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से प्री- और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण हेतु ब्याज सबवेंशन निर्यात संवर्धन मिशन - निर्यात प्रोत्साहन के तहत शुरू की गई है। जिसका उद्देश्य निर्यातकों के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने और उन्हें कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाना है।

iv. सरकार अपैरल/गारमेंट और मेड-अप के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट योजना को भी क्रियान्वित कर रही है ताकि शून्य-रेटेड निर्यात के सिद्धांत को अपनाकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, आरओएससीटीएल योजना के तहत नहीं आने वाले वस्त्र उत्पाद, अन्य उत्पादों के साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) के तहत शामिल किए जाते हैं।

v. भारत सरकार एमएसएमई को सहायता सहित वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं/पहलों को क्रियान्वित करती है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना; एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी पर केंद्रित उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम); मांग संचालित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु योजना - समर्थ; रेशम मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास हेतु सिल्क समग्र-2; देश भर में हथकरघा क्षेत्र और हथकरघा बुनकरों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना; राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, आदि शामिल हैं।

vi. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) वस्त्र क्षेत्र सहित एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को भी क्रियान्वित करता है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), पीएम विश्वकर्मा आदि शामिल हैं।

अनुबंध 1

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	श्रेणी	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24		
		कारखानों की संख्या	चालू फैक्ट्रियाँ	अन्य*	कारखानों की संख्या	चालू फैक्ट्रियाँ	अन्य*	कारखानों की संख्या	चालू फैक्ट्रियाँ	अन्य*	कारखानों की संख्या	चालू फैक्ट्रियाँ	अन्य*	कारखानों की संख्या	चालू फैक्ट्रियाँ	अन्य*
आंध्र प्रदेश	वस्त्र निर्माण	480	392	88	451	325	126	438	301	137	396	305	91	365	291	74
	पहनने के परिधानों का निर्माण	103	81	22	95	60	35	86	56	30	81	63	18	86	65	21
	उप कुल	583	473	110	546	385	161	524	357	167	477	368	109	451	356	95
असम	वस्त्र निर्माण	32	31	1	33	31	2	32	30	2	28	28	0	31	31	0
	पहनने के परिधानों का निर्माण	6	6	0	3	3	0	4	3	1	3	3	0	5	2	3
	उप कुल	38	37	1	36	34	2	36	33	3	31	31	0	36	33	3
बिहार	वस्त्र निर्माण	19	18	1	18	17	1	17	17	0	18	13	5	13	12	1
	पहनने के परिधानों का निर्माण	6	6	0	4	4	0	5	4	1	4	4	0	7	6	1
	उप कुल	25	24	1	22	21	1	22	21	1	22	17	5	20	18	2
छत्तीसगढ़	वस्त्र निर्माण	15	15	0	18	18	0	20	20	0	19	19	0	23	23	0
	पहनने के परिधानों का निर्माण	7	7	0	7	7	0	7	7	0	8	8	0	8	7	1
	उप कुल	22	22	0	25	25	0	27	27	0	27	27	0	31	30	1
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	वस्त्र निर्माण	359	240	119	315	226	89	316	232	84	366	204	162	296	209	87
	पहनने के परिधानों का निर्माण	38	32	6	38	33	5	40	33	7	34	32	2	32	32	0
	उप कुल	397	272	125	353	259	94	356	265	91	400	236	164	328	241	87
दिल्ली	वस्त्र निर्माण	110	90	20	116	75	41	116	90	26	95	73	22	91	87	4
	पहनने के परिधानों का निर्माण	401	293	108	395	246	149	362	246	116	371	193	178	309	238	71
	उप कुल	511	383	128	511	321	190	478	336	142	466	266	200	400	325	75
गोवा	वस्त्र निर्माण	10	9	1	9	9	0	9	9	0	10	10	0	9	9	0
गुजरात	वस्त्र निर्माण	2969	2143	826	2991	2180	811	2839	2051	788	2971	2257	714	3227	2372	855
	पहनने के परिधानों का निर्माण	481	342	139	448	298	150	479	296	183	510	287	223	579	364	215
	उप कुल	3450	2485	965	3439	2478	961	3318	2347	971	3481	2544	937	3806	2736	1070
हरियाणा	वस्त्र निर्माण	1087	774	313	1158	893	265	1213	904	309	1107	833	274	1125	896	229
	परिधानों का निर्माण	818	487	331	856	529	327	766	447	319	704	409	295	665	440	225
	उप कुल	1905	1261	644	2014	1422	592	1979	1351	628	1811	1242	569	1790	1336	454
हिमाचल प्रदेश	वस्त्र निर्माण	85	67	18	81	81	0	86	62	24	102	75	27	86	57	29
	पहनने के परिधानों का निर्माण	7	7	0	6	6	0	5	5	0	8	5	3	5	5	0
	उप कुल	92	74	18	87	87	0	91	67	24	110	80	30	91	62	29

जम्मू और कश्मीर	वस्त्र निर्माण	25	24	1	30	24	6	20	19	1	22	22	0	24	23	1
	पहनने के परिधानों का निर्माण	11	11	0	11	11	0	15	15	0	13	8	5	11	11	0
	उप कुल	36	35	1	41	35	6	35	34	1	35	30	5	35	34	1
झारखंड	वस्त्र निर्माण	6	5	1	6	5	1	5	4	1	5	5	0	5	5	0
	पहनने के परिधानों का निर्माण	7	7	0	20	20	0	15	14	1	17	17	0	17	15	2
	उप कुल	13	12	1	26	25	1	20	18	2	22	22	0	22	20	2
कर्नाटक	वस्त्र निर्माण	296	182	114	272	178	94	258	215	43	293	215	78	308	216	92
	पहनने के परिधानों का निर्माण	994	679	315	975	693	282	932	672	260	967	638	329	985	671	314
	उप कुल	1290	861	429	1247	871	376	1190	887	303	1260	853	407	1293	887	406
केरल	वस्त्र निर्माण	433	415	18	439	389	50	414	404	10	434	383	51	405	392	13
	पहनने के परिधानों का निर्माण	62	61	1	62	56	6	65	61	4	64	64	0	66	66	0
	उप कुल	495	476	19	501	445	56	479	465	14	498	447	51	471	458	13
मध्य प्रदेश	वस्त्र निर्माण	163	154	9	176	154	22	183	166	17	173	160	13	162	148	14
	पहनने के परिधानों का निर्माण	64	64	0	74	72	2	64	64	0	64	64	0	68	67	1
	उप कुल	227	218	9	250	226	24	247	230	17	237	224	13	230	215	15
महाराष्ट्र	वस्त्र निर्माण	1759	1151	608	1756	1220	536	1764	1246	518	1705	1221	484	1725	1292	433
	पहनने के परिधानों का निर्माण	933	535	398	1018	623	395	998	577	421	1055	678	377	950	632	318
	उप कुल	2692	1686	1006	2774	1843	931	2762	1823	939	2760	1899	861	2675	1924	751
मणिपुर	वस्त्र निर्माण	3	3	0	4	4	0	4	4	0	6	6	0	6	6	0
मिजोरम	वस्त्र निर्माण	31	31	0	29	29	0	29	29	0	27	27	0	27	27	0
	पहनने के परिधानों का निर्माण	29	29	0	31	31	0	31	31	0	31	31	0	31	31	0
	उप कुल	60	60	0	60	60	0	60	60	0	58	58	0	58	58	0
ओडिशा	टाइल्स का निर्माण	32	32	0	32	32	0	34	29	5	29	25	4	27	25	2
	पहनने के परिधानों का निर्माण	3	3	0	3	3	0	4	4	0	6	5	1	5	5	0
	उप कुल	35	35	0	35	35	0	38	33	5	35	30	5	32	30	2
पुदुचेरी	वस्त्र निर्माण	27	24	3	29	29	0	27	27	0	30	23	7	25	23	2
	पहनने के परिधानों का निर्माण	4	3	1	4	4	0	4	3	1	4	4	0	4	4	0
	उप कुल	31	27	4	33	33	0	31	30	1	34	27	7	29	27	2
पंजाब	वस्त्र निर्माण	808	613	195	801	594	207	770	557	213	750	642	108	743	619	124
	पहनने के परिधानों का निर्माण	826	664	162	845	652	193	889	780	109	972	798	174	974	804	170
	उप कुल	1634	1277	357	1646	1246	400	1659	1337	322	1722	1440	282	1717	1423	294
राजस्थान	वस्त्र निर्माण	1257	1154	103	1261	1187	74	1268	1197	71	1292	1259	33	1302	1147	155

	पहनने के परिधानों का निर्माण	351	309	42	387	279	108	457	374	83	487	374	113	537	450	87
	उप कुल	1608	1463	145	1648	1466	182	1725	1571	154	1779	1633	146	1839	1597	242
तमिलनाडु	वस्त्र निर्माण	6250	4670	1580	6387	4806	1581	6505	4867	1638	6468	4713	1755	6382	4552	1830
	परिधानों का निर्माण	4825	3828	997	4906	3780	1126	4955	3904	1051	4964	3770	1194	5085	3951	1134
	उप कुल	11075	8498	2577	11293	8586	2707	11460	8771	2689	11432	8483	2949	11467	8503	2964
तेलंगाना	वस्त्र निर्माण	225	134	91	229	179	50	161	140	21	176	146	30	239	183	56
	पहनने के परिधानों का निर्माण	54	38	16	56	24	32	33	13	20	22	22	0	25	20	5
	उप कुल	279	172	107	285	203	82	194	153	41	198	168	30	264	203	61
त्रिपुरा	वस्त्र निर्माण	3	3	0	3	1	2			0			0			0
उत्तर प्रदेश	वस्त्र निर्माण	959	702	257	972	704	268	1013	763	250	1102	891	211	1174	1010	164
	पहनने के परिधानों का निर्माण	1190	779	411	1170	761	409	1538	1067	471	1662	1190	472	1917	1536	381
	उप कुल	2149	1481	668	2142	1465	677	2551	1830	721	2764	2081	683	3091	2546	545
उत्तराखंड	वस्त्र निर्माण	46	46	0	31	22	9	30	25	5	39	37	2	44	36	8
	पहनने के परिधानों का निर्माण	7	6	1	6	6	0	7	6	1	7	7	0	7	7	0
	उप कुल	53	52	1	37	28	9	37	31	6	46	44	2	51	43	8
पश्चिम बंगाल	वस्त्र निर्माण	505	417	88	524	441	83	469	354	115	459	381	78	484	386	98
	परिधानों का निर्माण	346	323	23	404	356	48	400	324	76	486	447	39	442	329	113
	उप कुल	851	740	111	928	797	131	869	678	191	945	828	117	926	715	211
अखिल भारतीय	**वस्त्र निर्माण**	**17994**	**13539**	**4455**	**18171**	**13853**	**4318**	**18040**	**13762**	**4278**	**18122**	**13973**	**4149**	**18348**	**14077**	**4271**
	पहनने के परिधानों का निर्माण	**11573**	**8600**	**2973**	**11824**	**8557**	**3267**	**12161**	**9006**	**3155**	**12544**	**9121**	**3423**	**12820**	**9758**	**3062**
	कुल	**29567**	**22139**	**7428**	**29995**	**22410**	**7585**	**30201**	**22768**	**7433**	**30666**	**23094**	**7572**	**31168**	**23835**	**7333**

अन्य* - ऐसी फैक्ट्रियां जिनके पास निर्धारित संपत्तियां हैं लेकिन वे अपने स्टाफ को मेंटेन नहीं कर रही हैं और 3 साल से उत्पादन नहीं कर रही हैं, अथवा जो अस्तित्व में नहीं हैं, या जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है, या जो कवरेज से बाहर हैं आदि।

स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ई- सांख्यिकी पोर्टल), एमओएसपीआई;

नोट: ऊपर दिया गया डेटा उद्योगों के वार्षिक सर्वे के डेटा कवरेज से संबंधित है, जो पूरे फैक्ट्री सेक्टर तक फैला हुआ है, जिसमें फैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948 के सेक्शन 2(एम)(i) और 2(एम)(ii) के तहत रजिस्टर्ड औद्योगिक इकाइयां (जिन्हें फैक्ट्रीज़ कहा जाता है) शामिल हैं, जिसमें 'फैक्ट्री', जो एएसआई के लिए गणना की प्राइमरी स्टैटिस्टिकल यूनिट है, को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:

'कोई भी परिसर' जिसमें उसकी सीमा भी शामिल है: -

i. जिसमें पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन दस या उससे ज़्यादा कामगार काम कर रहे हों या कर रहे थे, और जिसके किसी भी भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया पावर की मदद से चल रहा हो या आम तौर पर ऐसे ही चलता हो, या,

ii. जिसमें पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन बीस या उससे ज़्यादा कामगार काम कर रहे हैं या कर रहे थे, और जिसके किसी भी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया बिना पावर की मदद के चल रहा है या आमतौर पर ऐसे ही चलता है, परंतु इसमें माइंस एक्ट, 1952 के तहत आने वाली कोई माइन या रेलवे रनिंग शेड शामिल नहीं है।

ऊपर उपरोक्त 'विनिर्माण प्रक्रिया' को कारखाना अधिनियम, 1948 में [धारा 2(ट) के अनुसार] निम्नलिखित के लिए 'कोई भी प्रक्रिया' के रूप में परिभाषित किया गया है:

i. किसी भी मद या वस्तु को उसके उपयोग, बिक्री, परिवहन, डिलीवरी या डिस्पोज़ल के लिए मेकिंग, आल्टरिंग, आरनामेंटिंग, फिनिशिंग करना, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, डेमोलिशिंग या किसी और तरह से ट्रीट करने या अडेप्ट करने के लिए या,
ii. तेल, पानी या सीवेज पंप करना; या,
iii. बिजली पैदा करना, ट्रांसफार्म करना या ट्रांसमिट करना; या,
iv. लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, फोटोग्राव्योर या इसी तरह के दूसरे प्रोसेस या बुक बाइंडिंग से प्रिंटिंग के लिए टाइप बनाना; या,
v. जहाजों या जलयानों का निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, पुनः फिटिंग, फिनिशिंग या ब्रेकिंग अप; या
vi. किसी भी वस्तु को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखना या स्टोर करना।

ऊपर दी गई परिभाषा में थोड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य के लिए फैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948 में बदलाव किया गया है, जो एएसआई 2015-2016 से लागू है और गोवा के लिए, एएसआई 2022-2023 से लागू है। उपरोक्त राज्यों के अलावा, दस और राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के लिए परिभाषा में बदलाव किया गया है, जो एएसआई 2023-2024 से लागू है। संशोधन का भाग इस तरह है:

“धारा 2एम(आई) को इस प्रकार संशोधित किया गया है, यानि 10 या इससे अधिक पावर वाले कामगार से लेकर 20 या इससे अधिक पावर वाले कामगार तक और धारा 2एम(ii) भी, अर्थात् 20 या इससे अधिक पावर वाले कामगारों से लेकर 40 या इससे अधिक बिना पावर वाले कामगार”।

****